रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2009/भाद्र 9, 1931

No. 485] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2009/BHADRA 9, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 616(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्धित राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियमावली, 1954 (इसके आगे उपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 4 के उप-नियम (i) में,—

(i) 'छ: हजार पाँच सौ' शब्दों के स्थान पर 'चौदह हजार रुपये' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये 1 सितम्बर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

(ii) 'सात वर्षों' के स्थान पर 'तीन वर्षों' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 सितम्बर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

3. उपर्युक्त नियमावली के नियम 4क में दिए शब्दों 'एक सौ पचास रुपये' के स्थान पर 'तीन सौ रुपये' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये 1 सितम्बर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

4. उपर्युक्त नियमावली के नियम 4क के नीचे निम्नलिखित नए नियम 4ख को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'4ख-सेवा के सदस्यों के लिए वर्दी भत्ते और किट के रख-रखाव भत्ते की दरों में, संशोधित वेतन बैण्ड पर महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत हो जाने पर प्रत्येक समय 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।'

[**व्याख्यान ज्ञापन :** भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 29 अगस्त, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प सं. 1/1/2008-आईसी जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित है, में व्यवस्था की गई है कि महंगाई भत्ते के अलावा अन्य संशोधित भत्ते 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे। तदनुसार, ये नियम 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी किए गए हैं।]

[सं. 11058/02/2008-अभासे. III]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 14 सितम्बर, 1954 की अधिसूचना संख्या 158 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तदुपरांत निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के अंतर्गत संशोधित किए गए :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	122	15 मार्च, 1958
2.	765	6 सितम्बर, 1958
3.	208	25 फरवरी, 1961
4.	1717	27 नवम्बर, 1965
5.	1113	29 जुलाई, 1967
6.	1448	21 जून, 1969
7.	1595	6 जुलाई, 1969
8.	49	9 जनवरी, 1971
9.	749	22 मई, 1971
10.	22(अ)	11 जनवरी, 1972
11.	933	5 अगस्त, 1972